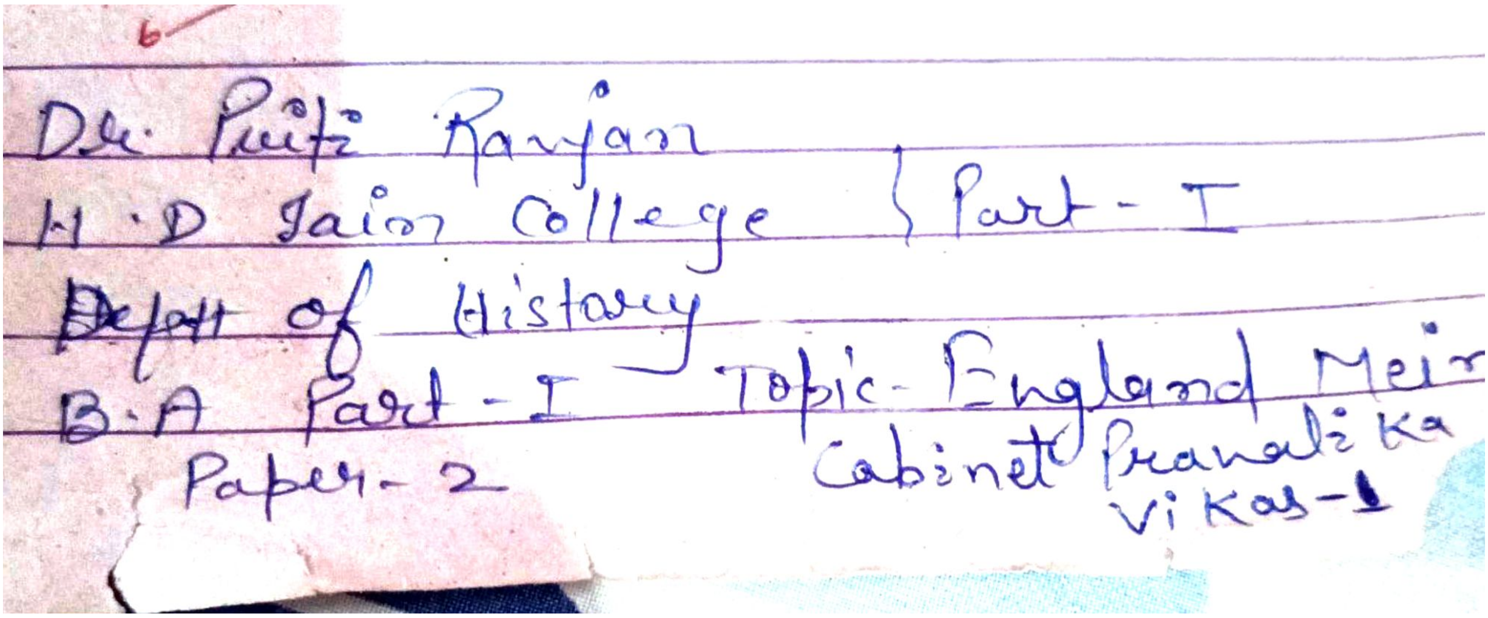

6

Dr. Priti Ranjan

H.D Jain College } Part - I

Deptt of History

B.A Part - I

Paper - 2

Topic - England Mein Cabinet Pranali Ka Vikas - 1

इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास (18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक) [illegible]

कैबिनेट प्रणाली का विकास इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। मंत्रिमंडलीय प्रथा का विकास इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था। शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने एवं सुव्यवस्थित नीति निर्धारण के लिए भी इंग्लैंड में कैबिनेट प्रथा की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रथा की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी लेकिन इसका विकास 1688 ई० की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हुई और 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रथा का विकास किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था यह परिस्थितियों की आवश्यकता मात्र ही थी।

मंत्रिपरिषद् आधुनिक काल की कार्यपालिका से संबंधित एक प्रमुख संस्था थी। मंत्रिपरिषद् में लगभग 20 सदस्य होते थे। ये सभी सदस्य प्रिवी कौंसिल और मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। साधारण चुनाव के बाद कॉमन्स सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वह अपना एक नेता चुनता है। उसी नेता को राजा मंत्रिपरिषद् बनाने के लिए आमंत्रित करता है, वही प्रधानमंत्री कहलाता है। इसकी कई विशेषताएं होती है। इसके सदस्य सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से कॉमन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सभी सदस्य सार्वजनिक रूप से एक ही मत के होते हैं। सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करते है और मंत्रिपरिषद् में राजा के लिए कोई स्थान नहीं रहता है।

कैबिनेट प्रथा का विकास 14वीं शताब्दी में नार्मन कौंसिल में बताया जा सकता है। उस कौंसिल में राजा के कुछ विश्वासी अधिकारी बैठते थे। यह कौंसिल शासन संबंधी कार्यों को देखती थी। हेनरी के बड़े होने तक कौंसिल सरकारी संस्था बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत तक कौंसिल ने एक निश्चित रूप प्राप्त कर लिया। इसके सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। इसका मुख्य कार्य राजा को सलाह देना था। कौंसिल के सदस्यों पर संसद का कोई अधिकार नहीं था। कैबिनेट अन्य घोषणाओं एवं रिपोर्टों को भी जारी कर सकती थी।

15वीं सदी में परिस्थिति बदल गई। राजनीतिक स्थिति कमजोर थी और पार्लियामेंट की स्थिति सबल थी। अतः कौंसिल पार्लियामेंट की एक समिति की तरह हो गयी। पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप भी करने लगी। कौंसिल संसद के प्रति उत्तरदायी बन गयी।

(क) संसद की कार्यवाही संबंधी नियमों को बनाती थी।

(ख) महाभियोग पर भी वह जोर देने लगी।

(ग) सदस्यों का वेतन भी संसद के द्वारा स्वीकृत किया जाने लगा और अयोग्य सदस्यों के वेतन में भी वह कटौती करने लगी।

(घ) सदस्यों को सिक्रेसी (गुप्तता) के संबंध में शपथ लेनी आवश्यक हो गयी। 15वीं सदी के मध्य में कौंसिल के सदस्यों की गुप्त मंडली भी होने लगी जो प्रिवी कौंसिल के नाम से प्रसिद्ध हुई। विशेष उत्सव के मौके पर उसकी बैठक बुलायी जाने लगी।

पन्द्रवीं सदी के अंत में तथा 16वीं सदी के उत्तरकालीन लंकास्टर और यार्किस्ट युग में कौंसिल के सामन्ती सदस्य सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। ट्यूडर काल में प्रिवी कौंसिल का पुनः संगठन किया। सदस्यों की संख्या घटायी गयी। इसके अलावा इसमें साधारण श्रेणी के व्यक्ति भी नियुक्त किए गये। ट्यूडर काल में कौंसिल बड़ी कुशलता के साथ शासन प्रबंध करने लगी।

17वीं सदी के प्रारंभ में कौंसिल के सदस्यों की संख्या फिर बहुत बढ़ गयी अतः चार्ल्स I के समय इसे कई भागों में बाँट दिया गया। 17वीं सदी के पूर्वार्द्ध में फ्रांसिस बैकन ने अपने लेखों में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया। इसी अवधि में संसद बकिंघम पर महाभियोग लगा कर अपने प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर जोर दे रही थी।

चार्ल्स II के शासन काल अर्थात 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध में पुनर्स्थापना के साथ पुरानी बड़ी प्रिवी कौंसिल भी आयी। प्रिवी कौंसिल काफी बड़ी थी इसलिए इसे 4 समितियों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक समिति को निश्चित कार्य सौंप दिये गए। चार्ल्स II ने अपने कुछ मित्रों से गुप्त सलाह के लिए

Vikas-1

कुछ व्यक्तियों की मंडली कायम की जो कैबाल कहलायी। [illegible] बातों पर नहीं अनौपचारिक ढंग से विचार-विमर्श किया जाता था। इसके बाद बड़ी कौंसिल की औपचारिक स्वीकृति के लिए विषय को उपस्थित किया जाता था। इस तरह आधुनिक कैबिनेट का बीजारोपण हुआ। कैबाल मंत्रिमंडल में बनाया गया।

1688 ई० की गौरवपूर्ण क्रांति के उपरान्त कैबिनेट प्रथा का विकास तेजी से होने लगा। क्योंकि तीसरे विलियम और रानी एन के शासनकाल में (1689-1714 ई०) ह्विग तथा टोरी नामक दो नैतिक दलों का विकास हुआ। इससे कैबिनेट-प्रणाली के विकास में मदद मिली। आगे चल कर दोनों दलों में सैद्धांतिक [illegible] की वजह से शासन में कठिनाइयाँ होने लगीं। 1696 ई० में विलियम ने ह्विग दल के नेता को अपने मंत्रियों में नियुक्त। उस समय कॉमन्स सभा में ह्विग दल का बहुमत था। जिससे ह्विगों के इस मंत्रिमंडलों को ह्विग जुण्टो मंडली की संज्ञा दी गई।

1701 ई० में निर्णायक कानून (एक्ट ऑफ सेटलमेंट) पास हुआ। इसमें दो ऐसी धाराएँ थी जिनसे कैबिनेट-प्रणाली को आघात पहुँचाता था। ये धाराएँ थी — कोई भी पेंशन भोगी या सरकारी कर्मचारी कॉमन्स सभा का सदस्य नहीं बन सकता (ख) भविष्य में कोई भी विचार-विमर्श प्रिवी कौंसिल सभा में ह्विगों का बहुमत हुआ तो मंत्रिमंडल में भी उसकी प्रधानता कायम हुई। 1710 से 1714 ई० तक मंत्रिमंडल में टोरियों की प्रधानता हुई क्योंकि कॉमन्स सभा में उनका बहुमत था।

17 वीं सदी में कई अन्य वैधानिक समस्याओं का निराकरण हुआ। सर्वप्रथम इसी सदी में इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ। ह्विग लिबरल के नाम से और टोरी के पथप्रदर्शन में संविधान का अधिक विकास हुआ और प्रजातंत्र की नींव सबल हुई।

17 वीं सदी में केवल राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बल्कि आधुनिक कैबिनेट-प्रणाली के निम्नलिखित सिद्धान्त है (क) जनता की प्रतिनिधि संस्था के बहुमतवाले दल से मंत्रियों की नियुक्ति

(ख) मंत्रियों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व (ग) मंत्रियों के विचारों में समता (घ) प्रधानमंत्रियों का प्रबल नेतृत्व और (ङ) कैबिनेट के राजा की अनुपस्थिति। इंग्लैण्ड के शासनकाल में 1694 ई० से 1701 ई० में उत्तराधिकार नियम - कानून पारित हुए और इसी के चलते इंग्लैण्ड की गद्दी पर एक विदेशी राजा का राज्यारोहण हुआ। इसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ और आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के अन्य सिद्धान्तों का विकास हुआ।

1714 ई० हैनोवर वंश के जार्ज I का राज्यारोहण हुआ इंग्लैण्ड की गद्दी पर। हैनोवेरियन वंश के राज्यारोहण हुआ इंग्लैण्ड की गद्दी पर। हैनोवेरियन वंश के राज्यारोहण ने इंग्लैण्ड के इतिहास में युगान्तकारी सिद्ध हुए आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के विकास में बड़ी सहायता मिली। आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: —

(क) कैबिनेट के सदस्यों का कॉमन्स सभा के बहुमत दल का सदस्य होना

(ख) राजा की कैबिनेट में अनुपस्थिति

(ग) प्रधानमंत्री का बोलबाला।

(घ) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

(ङ) सभी मंत्रियों का एकमत होना।

क्रांति के बाद कैबिनेट शासन-विधान में स्थायी संस्थान बन गयी और प्रिवी कौंसिल बड़ी होने के कारण मत प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त हो गयी। जार्ज तृतीय 1760 ई० तक कैबिनेट एक प्रमुख संस्था बन चुकी थी।

जार्ज-I - II, III के शासनकाल में कैबिनेट के सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी अतः राजा कुछ थोड़े से प्रमुख एवं प्रभावशाली मंत्रियों से ही सलाह लेता था। अन्य मंत्री भी उसकी सलाह और निर्णय को मान लिया करते थे। इस तरह कैबिनेट के दो रूप हो गये — बाह्य और आंतरिक। आन्तरिक कैबिनेट का विशेष प्रभाव था।